राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 293/2008

रूप सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं कन्ट्रोलर ऑफ अटेच्ड हॉस्पिटल्स, जयपुर।
2. श्री कालूराम सेन, एसएमएस मेडिकल ब्रांच, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दिनांक 12.01.1983 को हुई थी। नियंत्रण अधिकारी वाहन शाखा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने अपने पत्र दिनांक 18.07.1994 के द्वारा प्रधानाचार्य एस. एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर को अपीलार्थी के संबंध में यह सिफारिश की कि अपीलार्थी वाहन शाखा में क्लीनर के पद पर पदस्थापित है। उसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस है और कॉलेज में वाहन चालकों की कमी के कारण अपीलार्थी की सेवाएं वाहन चालक के तौर पर ली जा रही है। इस प्रकार अपीलार्थी की वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश की गई है। इसके पश्चात प्रधानाचार्य द्वारा पत्र दिनांक 25.09.1996 के द्वारा अपीलार्थी को यह निर्देशित किया कि वाहन चालक का पद रिक्त नहीं है। अतः वाहन चालक के पद पर नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है। बाद में अपीलार्थी ने एक अपील संख्या 936/1997 रूपसिंह बनाम प्रिंसिपल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 11.02.1998 को आदेश पारित कर अपील का निस्तारण इस प्रकार से किया गया है कि अपीलार्थी रूपसिंह के संबंध में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से ड्राईवर के पद पर पदोन्नति के संबंध में नियमानुसार डीपीसी तीन माह में कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंध में जारी अस्थाई वरियता सूची दिनांक

28.05.2001 में अपीलार्थी का नाम 89 न. पर अंकित है। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति कालूराम सैन, वार्ड बॉय जिनका नाम वरियता सूची में नहीं था, उन्हें ड्राइवर के पद पर वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी भी ड्राइवर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को ड्राइवर के पद पर वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाये।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

3. अपीलार्थी ने पूर्व में भी इस अधिकरण के समक्ष ड्राइवर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए एक अपील प्रस्तुत की थी, जिसका निस्तारण किया जा चुका है। जिसमें अपीलार्थी के संबंध में डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी के संबंध में आयोजित डीपीसी का क्या निष्कर्ष रहा था। अपीलार्थी ने केवलमात्र यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति कालूराम सैन को ड्राइवर के पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी ने वरियता सूची दिनांक 28.05.2001 को प्रस्तुत की है, जो अस्थाई वरियता सूची है। यह वरियता सूची केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं स्वीपर की वरियता सूची है। इसमें वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत व्यक्तियों का नाम नहीं हैं। अपीलार्थी ने कालूराम सैन का अपने से कनिष्ठ होना व उनकी पदोन्नति का हवाला दिया है, जो वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत थे। यह अपीलार्थी साबित नहीं कर सका है कि कालूराम उनसे कनिष्ठ थे। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, जबकि कालूराम सैन वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत है। वरियता सूची वार्ड बॉय के संबंध में नहीं है। ऐसे मे अपीलार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि अपीलार्थी जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वह वार्ड बॉय के पद से किस प्रकार एकरूपता (Parity) रखता है। अतः हम यह पाते हैं कि कालूराम सैन को पदोन्नति का लाभ दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

4. अतः हम इस अपील में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)